Dy. No. *14/15/172

To Remove the Illegal Bridges

***42 Sh. MEWA SINGH (Ladwa):**

Will the Chief Minister be pleased to state:-

a) the number of bridges constructed on Sarasvati River from Kurukshetra G.T. road to Jhansa togetherwith the number of bridges constructed by PWD alongwith the number of illegal bridges out of these bridges; and

b) the steps taken by the Government to remove the said illegal bridges as the water is accumulated upto many feet in the dozens of colonies in Kurukshetra city due to said illegal bridges and the crops of thousand acreage land of dozens of villages nearby the city have been damaged due to accumulation of water?

Sh. Manohar Lal, Hon'ble Chief Minister Haryana

a) Total 15 Nos. of bridges exist on the Sarasvati River from G.T road, Kurukshetra to Jhansa road, out of which 6 Nos. bridges were constructed by departments of PWD B&R and Irrigation and 9 Nos. illegal bridges have been constructed (08 before 2010) and are currently being managed by Gram Panchayat/Local residents of village Kheri Markanda without taking NOC/Permission from Department.

b) After the inception of Sarasvati project, many unauthorised bridges/culverts were got dismantled as and when information/complaint received. Illegal pipe culverts at RD 207850 and RD 214500 have been removed on dated 14.01.2022 & 16.12.2022 respectively. Recently also on the basis of complaint, action was taken to remove illegal bridge at RD 217500 on dated 09.02.2023 with the help of local administration but due to resistance by the residents/villagers the work was withdrawn after partially dismantling the bridge. During monsoon season, whenever there is flooding in nearby residential area due to excess floodwater in Sarasvati river, dewatering is done by installing diesel pumps as per requirement. Neither any crop damage has been reported, nor any compensation has been paid in the last 5 years due to flooding in this area. Flood works amounting to Rs. 2.39 crore has been approved in 53rd meeting of Haryana State Drought Relief

and Flood Control Board for raising of bank and stone pitching of side slope on critical reaches of Sarasvati river to avoid overflowing of flood water into nearby residential area. Tender was invited and opened on 28/02/2023.

अवैध पुलों को हटाना

*42 **श्री मेवा सिंह (लाडवा) :**

क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे किः–

क) कुरुक्षेत्र जी.टी. रोड से झांसा तक सरस्वती नदी पर निर्मित पुलों की संख्या कितनी है तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित किए गए पुलों की संख्या कितनी है तथा इन पुलों में से अवैध पुलों की संख्या कितनी है; तथा

ख) उक्त अवैध पुलों को हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए हैं क्योंकि कुरुक्षेत्र शहर की दर्जनों कॉलोनियों में उक्त अवैध पुलों के कारण कई फिट तक पानी भर जाता है तथा शहर के आसपास के दर्जनों गांवों की हजारों एकड़ भूमि की फसलें जल भराव के कारण खराब हो जाती हैं?

श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री हरियाणा।

क) सरस्वती नदी पर जी.टी रोड, कुरुक्षेत्र से झांसा रोड तक कुल 15 पुल मौजूद हैं, जिनमें से 6 पुलों का निर्माण लोक निर्माण विभाग, भवन एवं सड़कें और सिंचाई विभाग द्वारा किया गया था और 9 अवैध पुल बिना विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमति लिये बनाए गए हैं (जिसमें से 8 पुल वर्ष 2010 से पहले के बने हुए हैं) और वर्तमान में इन सभी का रख–रखाव गांव खेड़ी मारकंडा की ग्राम पंचायत व स्थानीय निवासियों द्वारा किया जा रहा है।

ख) सरस्वती परियोजना की शुरुआत के बाद, सूचना/शिकायत प्राप्त होते ही कई अनधिकृत पुलों/पुलियों को तोड़ दिया गया। बुर्जी संख्या 207850 एवं बुर्जी संख्या 214500 पर अवैध पाईप पुलियों को क्रमशः दिनांक 14.01.2022 एवं 16.12.2022 को हटाया गया है। हाल ही में भी शिकायत के आधार पर स्थानीय प्रशासन के सहयोग से दिनांक 09.02.2023 को बुर्जी संख्या 217500 पर बने अवैध पुल को हटाने की कार्यवाही की गई

थी लेकिन निवासियों/ग्रामीणों के विरोध के कारण पुल को आंशिक रूप से तोड़कर कार्य को रोक दिया गया था। मानसून के मौसम में, जब भी आस–पास के आवासीय क्षेत्र में सरस्वती नदी में बाढ़ के पानी की अधिकता के कारण पानी भरता है, तो आवश्यकता के अनुसार डीजल पंपों द्वारा पानी को निकाला जाता है। इस क्षेत्र में बाढ़ के कारण पिछले 5 वर्षों में न तो किसी फसल के नुकसान की सूचना मिली है और न ही किसी मुआवजे का भुगतान किया गया है। हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 53वीं बैठक में सरस्वती नदी के किनारों को ऊँचा उठाने और आस–पास के रिहायशी इलाकों में बाढ़ के पानी को रोकने के लिए सरस्वती नदी की विकट पहुंच (critical reaches) की साइड ढलानों पर पत्थर की पिचिंग लगवाने के लिए 2.39 करोड़ रुपये के बाढ़ नियंत्रण कार्यों को मंजूरी दी गई है। निविदा आमंत्रित की गई और 28.02.2023 को खोली गई।